जाने एवं प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किये जाने का निवेदन
या।

प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार संवत 2046 में उक्त विवादित आराजी ख0 नं0 1019/2430 बाबत छोटा पुत्र श्योबक्ष चमार सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं जमाबंदी संवत 58–61 में छोटा पुत्र श्योबक्ष चमार सा0 देह खातेदार दर्ज है। तथा प्रस्तुत हाल माबंदी संवत 2070–73 में प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। न प्रकार से प्रस्तुत नकल बैयनामा दिनांक 21.05.96 जो प्रतिवादीगण के पिता/पति टा पुत्र श्योबक्ष जाति चमार द्वारा मुताबिक दावा के अंकन से आराजी का बैचान होना ष्ट शाबित पाया जाता है। इस प्रकार से यह न्यायालय वादिया के वाद को स्वीकार या जाता है।

:आदेश:–

यह न्यायालय वादीया के वाद को बहक वादीया बरखिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार ग्य पाये जाने की स्थिती में बैयनामा दिनांक 21.05.96 के आधार पर हाल आराजी ख0 0 1019/2430 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बत डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे अंकन ो हजफ करने के आदेश दिये जाते है तथा विवादित आराजी के बाबत वादीया को ातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे हाल रिकार्ड में उनके नाम के हो रहे अंकन की आड में उक्त ाराजी को कही रहन, बय, हिबा इत्यादि प्रकार से मुन्तकिल ना करे नाही वादीया के ब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे पाबंद रहे। उक्तानुसार हाल ाजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.05.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर यायालय की मुद्रा से मजमे आम में सुनाया गया।

02.05.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner